राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3141/2024

रेखा सोनी

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख सचिव, शिक्षा मंत्रालाय (प्राथमिक), सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा), जयपुर।
4. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (पश्चिम), जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 17.10.2024
आदेश की दिनांक : 28.10.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री देवेंद्र कुमार, अभिभाषक

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी संख्या 03 द्वारा जारी दिनांक 10.10.2024 के निलंबन आदेश को चुनौती दी है, जिसके तहत उसे सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर सेवा से निलंबित कर दिया गया है। (अनुलग्नक–1) अपीलार्थी को दिनांक 03.10.2005 को महिला विधवा श्रेणी के तहत शिक्षक ग्रेड–III लेवल–I के रूप में नियुक्त किया गया था। अपनी प्रारंभिक नियुक्ति के बाद से अपीलार्थी ने अत्यंत समर्पण और ईमानदारी के साथ काम किया और अपनी सेवाओं से कभी भी शिकायत का कोई अवसर नहीं दिया। अपीलार्थी अपनी सेवा के दौरान राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय करतारपुरा में स्थानांतरित हो गई और वहां उसने दिनांक 30.06.2018 को कार्यभार ग्रहण

किया। (अनुलग्नक–2) राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय करतारपुरा में उनकी तैनाती के दौरान सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कक्षा में एक छात्र शिक्षिका अपीलार्थी की टांगों पर खड़ा होकर मालिश कर रहा था। उक्त प्रकाशित समाचार एवं वायरल वीडियो के आधार पर प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जयपुर के माध्यम से जांच के आदेश दिए गए। उक्त कथित जांच के दौरान अपीलार्थी को सुनवाई या अपना मामला प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया गया। प्रत्यर्थी संख्या 3 ने प्रत्यर्थी संख्या 4 की रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी को आदेश दिनांक 10.10.2024 द्वारा निलंबित कर दिया और निलंबन के दौरान उसे मुख्यालय निदेशालय शिक्षा विभाग, बीकानेर भेज दिया। फिर अपीलार्थी को उसी दिनांक 10.10.2024 को प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, रावल जी का बाग, जयपुर द्वारा कार्यमुक्त कर दिया गया। (अनुलग्नक–3)

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि प्रत्यर्थी संख्या–3 द्वारा पारित दिनांक 10.10.2024 (अनुलग्नक–1) के निलंबन आदेश को अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी को उसके पद अध्यापिका ग्रेड–III, लेवल–1, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, करतारपुरा, जयपुर पर बहाल करे।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना एवं बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किया जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order)

प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य